संख्या- 13 /2016/आरएफ/33/नौ-9-2016- 116आरएफ/15

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 01 मार्च, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर निगम,लखनऊ क्षेत्रान्तर्गत कमता स्थित भूमि पर आवासीय/ व्यवसायिक बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 238/पीएम/5/15-16 दिनांक 27.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है नगर निगम,लखनऊ क्षेत्रान्तर्गत कमता स्थित खसरा संख्या-337 की भूमि पर आवासीय/ व्यवसायिक बहुमंजिला भवन निर्माण की परियोजना की मूल्यॉकित लागत रू0 1297.73 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) की धनराशि नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2)- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा

http://upsandesh.up.nic.in

निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा, उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि को किसी अन्य बैंक/ डाकघर/ पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या -2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015,दिनांक 30 मार्च,2015 दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो हेतु निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान आदि का कार्य निकाय के संबंधित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिये व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

(5) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ् कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो हेतु निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान आदि का कार्य निकाय के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिए व्यक्तिगत/ संस्थागत रूप से उत्तरदायी होगें।

(6)- धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा ताकि किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायगा। विद्युत कार्यो के लिये शासनादेश संख्या- 1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या- 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित शासन को तत्काल समर्पित कर दी जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों /सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष् में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(9) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(10) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(11) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

(12) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् **"नया सवेरा नगर विकास योजना"** का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(13) उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत उपयोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जायेगी।

http://finance.up.nic.in

(14) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक,स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित उच्च विशिष्टयों का प्रयोग नियमानुसार न्यूनतम व वास्तविक दरों पर तथा सुसंगत नियमोंके अधीन किया जाय तथा इसके लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय जिसके द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा तथा निर्माण की गुणवत्ता एवं कार्यो की प्रगति का नियमित अनुश्रवण किया जाय ताकि टाइम/कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(16) प्रायोजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य एवं 02 नग लिफट आदि प्रस्तावित किये गये हैं। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं, जिनके शिडियूल ऑफ रेट उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था द्वारा इस प्रकार के निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमोंके आधार पर किया जाय।

(17) प्रायोजना का नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य किया जाय तथा ग्रीन बिल्डिंग कान्सेप्ट हेतु कुल लागत का 06 प्रतिशत औचित्य के अभाव में अनुमन्य नहीं है।

(18) वित्तीय मामलों से सम्बन्धित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण शासन/वित्त विभाग,उ0प्र0शासन को प्रस्तुत करते हुये यथाविधिक स्वीकृति प्राप्त करें।

(19) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद

http://finance.up.nic.in

एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के लेखाशीर्षक -"6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत -02 मल-जल तथा सफाई -191-नगर निगमों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या--2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015,दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 13 /2016/आरएफ.133 (1)/नौ-9-2016, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. कोषाधिकारी,लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
8. गार्ड फाइल ।
09. बेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

GORF-(14-15)

http://finance.up.nic.in

# Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2015-2016**

**आवंटन दिनांक-01/03/2016**

**प्रेषण संख्या:-** 13

**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-13-2016-RF133-9-9-16-116RF-15

**अनुदान संख्या:-** 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

**लेखाशीर्षक:-** 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - नया सवेरा नगर विकास योजना

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 30-निवेश/ऋण | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 20000000<br>20000000 | 20000000<br>20000000 |
| | योग | वर्तमान<br>प्रगामी | 20000000<br>20000000 | 20000000<br>20000000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़

**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़

(उमा शंकर सिंह)

**विशेष कार्याधिकारी**